## मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

## सत्र 3: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 32:31 मिनट

### गतिविधि से प्राप्त सीखें

आइए अब गतिविधि 1 में विभिन्न कहानियों की  सीखों को फिर से याद करें

उपर के सभी केस स्टोरीज़ में बच्चों के साथ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार करने एवं देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद  और कानून का उल्लंघन करन वाले बच्चों के मामले में संवेदनशील तरीके से बाल अनुकूल प्रक्रियाएं अपनाने पर जोर देता है। जिन बच्चों पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि कानून का उल्लंघन करन वाले बच्चा माना जाता है।

यह भारतीय न्याय व्यवस्था में मोड़े जाने वाला सिद्धांत (Principle of Diversion) और नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के स्थापना की याद दिलाता है। हमने यह भी देखा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता भी हो सकती है। जो वेश्यावृति में लिप्त हैं या भीख मांगते हैं, वे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की श्रेणी में नहीं हैं। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी/सीडब्ल्यूपीओ/एसजेपीयू को बच्चों की सुरक्षा, उनकी चिकित्सा जाँच , सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापन और पीड़ित और आरोपी का बयान दर्ज़  करना,  आदि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

### गतिविधि से प्राप्त सीखें

बच्चों के मामलों के लिए सक्षम घोषित की गई संस्थाओं में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड शामिल हैं जो क्रमशः देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद  और कानून का उल्लंघन करन वाले बच्चों की जाँच, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । हमें दस्तावेजी साक्ष्य या अस्थि परीक्षण/अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण के माध्यम से आयु सत्यापन की आवश्यकता पर और भी स्पष्टता मिली ।

हमें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं केंद्रीय नियमों में छोटे अपराधों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं एवं विशेष परिस्थितियों यथा– छोटे बच्चे जो अपने परिवारों के साथ नहीं रहते हैं उनके द्वारा किया गया अपराध, नाबालिग और वयस्क द्वारा संयुक्त रूप से किए गए छोटे अपराध , गंभीर अपराध , ऐसे अपराध जहाँ  बच्चे को वयस्क होने के बाद पकड़ा जाता है, के बारे में पता चला।

### क्या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के साथ संरक्षण और देखरेख के जरूरतमंद बच्चे की तरह का बर्ताव किया जा सकता है?

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की तरह बर्ताव किया जाए इसके लिए विशिष्ट परिस्थिति, उनके द्वारा किए गए या आरोपित अपराध की प्रकृति और उन्हें देखरेख और संरक्षण के

ज़रूरतमंद बच्चों के साथ रखने की संभावना, बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति आदि पर निर्भर होगा। ऐसे बच्चों में निम्नलिखित हो सकते हैं:

- अनाथ बच्चे जिन्हें किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है।
- सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चे जिन्होंने छोटा–मोटा अपराध किया है।
- ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार कानून तोड़ा है।
- ऐसे बच्चे जो वेश्यावृत्ति या भीख मांगते हुए पाए जाते हैं उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 76 के प्रावधानों के अनुसार इन्हें स्पष्ट रूप से देखरेख और संरक्षण के ज़रूतरमंद बच्चों की परिभाषा में शामिल किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया कि ये बच्चे इतने संकटग्रस्त और बेबस हैं कि इनके साथ विभिन्न तरह से शोषण किया जा सकता है तथा इसलिए इन्हें अपराधिकरण से मुक्त कराने की ज़रूरत है।

**बच्चे को पकड़ने के बाद के कर्तव्य**

आईए अब इस फ्लो–चार्ट को देखें जो बच्चे को पकड़ने के बाद के कर्तव्यों को दर्शा रहा है। यह फ्लो–चार्ट आपको आसान तरीके से यह समझने में मदद करेगा कि बच्चे को पकड़ने पर क्या कर्तव्य होंगे।

- बच्चे को हथकड़ी नहीं पहनाई जानी चाहिए न ही जेल में डाला जाना चाहिए।
- बच्चे को लॉकअप या जेल में नहीं भेजना चाहिए।
- बिना देरी किए बच्चे को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करना चाहिए।
- बच्चे के माता–पिता को, पकड़े जाने की सूचना, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि, समय व स्थान, ज़मानतदार और ज़मानत बांड की आवश्यकता के संबंध में सूचना देना।
- पुलिस की रिपोर्ट की प्रतिलिपि माता–पिता को दें।
- बच्चे की उम्र का प्रमाण लाने के लिए माता–पिता से कहें।
- परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करें और सामाजिक जाँच रिपोर्ट प्राप्त करें।
- भोजन, सुरक्षा तथा अन्य ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी।
- बोर्ड के समक्ष 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत करना।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें बच्चे की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी शामिल हो।

## कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से संबंधित प्रक्रिया

आईए अब कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया को जानें। ऐसे बच्चों के लिए आगे हम सीसीएल (Children in conflict with law) का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आईए जानें:

**किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10 के तहत कानून का उल्लंघन करने क आरोपित बच्चे को पकड़े जाने के बाद निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी–**

- कानून का उल्लंघन करने का आरोपित बच्चा जैसे ही पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है उसे जल्द से जल्द विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के जिम्मे सुपुर्द कर देना चाहिए, जो बच्चे को 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- किसी भी मामले में कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा न हीं

किसी भी स्थिति में बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, न ही उसे किसी वयस्क अपराधी के साथ थोड़े समय के लिए भी रखा जाएगा।

**किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत कानून का उल्लंघन करने क आरोपी बच्चे की जमानत**

आईए अब जमानत से संबंधित प्रक्रिया को सीखें।

- जब कोई बच्चा ज़मानत होने लायक या जमानत न होने लायक अपराध करने का आरोपी है और पुलिस द्वारा पकड़ा गया है या हिरासत में लिया गया है या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होता है या प्रस्तुत किया जाता है तब ऐसे बच्चे को बिना शर्त के या सशर्त जमानत पर रिहा करना चाहिए या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाना चाहिए।
- अगर कोई हिरासत में लिया गया बच्चा थानाध्यक्ष द्वारा ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाता है तो उस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक केवल पर्यवेक्षण गृह में रखा जाएगा।

**माता–पिता, अभिभावक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देना (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के तहत)**

आपने ज़मानत से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया है।

आईए अब जानें कि माता–पिता, अभिभावक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देने की क्या प्रक्रिया है।

- जब कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है, तब पुलिस स्टेशन का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिसके पास बच्चा लाया गया हो, उसे जितनी जल्दी हो सके, माता–पिता को सूचना देनी चाहिए अगर उन्हें ढूंढा जा सकता है।

- उन्हें निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के समय वे भी उपस्थित रहें;
- परिवीक्षा अधिकारी और अगर परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के अन्दर सामाजिक जाँच रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सूचित करें।
- सामाजिक जाँच रिपोर्ट में, बच्चे के जीवन का पूर्ववृत्त और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा अन्य संबंधित जानकारी जो बोर्ड को जाँच करने में मदद दे सकती हैं, शामिल की जानी चाहिए।

**कानून का उल्लंघन करने वाले भागे हुए बच्चे से जुड़े प्रावधान (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 धारा 26 के तहत)**

हम अक्सर कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की भागने की खबरें सुनते हैं।

आईए अब जानें कि भागे हुए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए क्या प्रावधान हैं।

- कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे का प्रभार कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकता है जो इस अधिनियम के तहत विशेष गृह, या पर्यवेक्षण गृह या सुरक्षित का स्थान या किसी व्यक्ति या संस्था से भागा हुआ है।
- बच्चे को 24 घंटे के अन्दर अगर सम्भव हो तो उस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने बच्चे के संबंध में मूल आदेश पारित किया था या सबसे नज़दीकी बोर्ड के समक्ष जहाँ बच्चा पाया गया है।

**मॉडल नियम**

आईए अब हम किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के तहत उत्तरदायित्वों के बारे में जानें।

सबसे पहले आईए समझें:

**किशोर न्याय मॉडल नियम स के नियम 8 के तहत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले पुलिस और अन्य एजेन्सियों के कार्य**

- जघन्य अपराध या वयस्कों के साथ मिलकर किये गए अपराध को छोड़कर, किसी भी मामले में बच्चे के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ नहीं कराई जाएगी
- अन्य सभी मामलों में एसजेपीयू या सीडब्लूपीओ सामान्य दैनिक डायरी में जानकारी दर्ज़ करेंगे और बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करेंगे
- जब तक यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा, तब तक केवल जघन्य अपराधों के मामलों में पकड़ने की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा
- सभी मामलों में जिसमें छोटे–मोटे और गंभीर अपराध शामिल हैं और जहाँ बच्चे का पकड़ा जाना उसके हित में नहीं है, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को, बच्चे पर आरोपित अपराध की प्रकृति, बच्चे की सामाजिक रिपोर्ट के साथ बोर्ड को अग्रेषित कर देनी चाहिए

- बच्चे के माता–पिता या अभिभावक को सूचित कर देना चाहिए कि सुनवाई के लिए बच्चे को बोर्ड के समक्ष कब प्रस्तुत करना है।
- बच्चे के पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता (ब्मू वतामत) साथ में रहेंगे।

आगे बढ़ने से पहले एसजेपीयू तथा सीडब्ल्यूपीओ के पूर्ण रूपों को याद कर लें क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हम बहुत बार कर रहे हैं

एसजेपीयू का पूर्ण रूप है स्पशल जूवेनाइल पुलिस यूनिट ( विशेष किशोर पुलिस इकाई) और सीडब्ल्यूपीओ का पूर्ण रूप है चाईल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी)।

आप जानते हैं कि बच्चे को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी को कई कार्य पद्धतियों का पालन करना पड़ता है।

(क) कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी को, बच्चे को नजदीकी पुलिस स्टेशन के बाल कल्याण अधिकारी को सुपुर्द करने में देर नहीं करनी चाहिए।

(ख) हथकड़ी या ज़ंजीर या अन्य किसी प्रकार की बेड़ी नहीं लगानी चाहिए और किसी प्रकार का दबाव या बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(ग) बच्चे के माता–पिता या अभिभावक के माध्यम से बच्चे को सीधे तौर पर बताया जाना चाहिए कि उसके विरूद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं और अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ की गई है तो उसकी एक प्रतिलिपि बच्चे को दी जानी चाहिए या पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति माता–पिता या अभिभावक को दी जानी चाहिए।

(घ) बच्चे को आवश्यक चिकित्सीय सहायता, दुभाषिये की सहायता या एक विशेष शिक्षक या अन्य कोई सहायता जो बच्चे के लिए ज़रूरी हो, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध करवानी चाहिए ।

(ड.) बच्चे पर अपना अपराध स्वीकारने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए और उससे पूछताछ विशेष किशोर पुलिस इकाई या एक बाल अनुकूल परिसर या पुलिस स्टेशन के किसी बाल अनुकूल कोने में ही करनी चाहिए। पुलिस द्वारा बच्चे से पूछताछ के समय माता–पिता या अभिभावक भी उपस्थित रह सकते हैं।

(च) बच्चे को किसी तरह के बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहना चाहिए।

(छ) अन्तिम कदम होगा। ज़िला विधि सेवाएं प्राधिकरण को बच्चे को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचित करना चाहिए।

**कानून का उल्लंघन करने वाले आरोपित बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना (किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 9 के तहत)**

अब हम जानते हैं कि किशोर न्याय नियम, 2016 के तहत बच्चे को प्रस्तुत करने से पहले पुलिस और अन्य एजेन्सियों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया है। आईए अब जानें कि किशोर न्याय नियम, 2016 के मॉडल नियम 9 के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को प्रस्तुत करने की क्या कार्य पद्धति है।

- जब कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बच्चा हिरासत में लिया जाता है, तो उसे हिरासत में लेने के 24 घंटे के अन्दर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पुलिस को इस बात की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसे हिरासत में लेने का कारण क्या है।
- किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की हुई, कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा अगर किशोर न्याय बोर्ड या उसके किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि वह ऐसे समय पकड़ा गया जब यह संभव नहीं था या दूरी के कारण, तब बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उसे पर्यवेक्षण गृह, या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा।
- हिरासत में लेने के 24 घंटे के अन्दर बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा ज़िला विधि प्राधिकरण को बच्चे को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचना दी जानी चाहिए।

**कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद की कार्य पद्धति (किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 10 के तहत)**

मॉडल नियम 8 के तहत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व पुलिस तथा अन्य एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं तथा मॉडल नियम 9 के तहत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियांओं को आप जान चुके हैं।

आईए अब जानें कि कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद किशोर न्याय मॉडल नियम के नियम –10 के तहत क्या प्रक्रिया होगी।

- 16 वर्ष आयु पूरी कर चुके किसी बच्चे के द्वारा जघन्य अपराध किए जाने का आरोपी होने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, गवाहों के बयान जो उन्होंने दर्ज़ किए हैं तथा अन्य कागजात जो छानबीन के दौरान तैयार किए गए हैं, उन्हें बच्चे को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर, बोर्ड के सामने प्रस्तुत करनी होगी तथा इसकी एक प्रति बच्चे या उसके माता–पिता या अभिभावक को भी देनी होगी।
- छोटे–मोटे और गंभीर अपराध के मामले में अन्तिम रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष जल्द प्रस्तुत की जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में पुलिस को सूचना प्राप्त होने की तिथि से यह अवधि दो माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

## बच्चों के विरूद्ध किए गए अपराधों से संबंधित मामलों में निर्धारित प्रक्रिया (किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 54)

आईए अब अगले चरण पर चलें। आप जानते हैं कि यद्यपि किशोर न्याय अधिनियम, देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है, फिर भी बच्चे, निरीह और अशक्त होते हैं इसलिए उनके साथ शोषण और हिंसा होने की अधिक सम्भावना होती है। इसलिए बच्चों के विरूद्ध अपराधों के मामलों में विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

आईए अब किशोर न्याय मॉडल नियम में बच्चों के विरूद्ध किए गए अपराधों के मामलों में निर्धारित की गयी प्रक्रिया को जानें।

सबसे पहलेः

- बच्चे के विरूद्ध हुए अपराध की शिकायत, बच्चा, परिवार, अभिभावक, दोस्त या बच्चे के शिक्षक, चाइल्ड लाइन सेवाएं या अन्य कोई संबंधित व्यक्ति, संस्था या संस्थान दर्ज़ करा सकते हैं।
- बच्चे के विरूद्ध संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना मिलने पर, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (थ्प्त्) दर्ज़ करनी होगी।
- बच्चे के विरूद्ध गैर–संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना मिलने पर, पुलिस उसे दैनिक डायरी में दर्ज़ करेगी और संबंधित मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट करेगी।
- बच्चों के विरूद्ध हुए सभी अपराधों की छानबीन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- यदि बच्चे का यौन शोषण किया गया है, तो बच्चे को निकटतम ज़िला अस्पताल या वन–स्टॉप क्राइसिस सेंटर में भेजा जाएगा।

## यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ;पॉक्सोद्ध 2012 और पॉक्सो नियम 2020

आईए अब पॉक्सो अधिनियम, 2012 और तथा पॉक्सो **नियम 2020**, के बारे में सीखें।

जब किसी विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या स्थानीय पुलिस को **यौन** अपराध के बारे में कोई सूचना मिलती है, तो उन्हें सूचना देने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित विवरण देना होगारू

- अपना नाम और पदनाम
- पता और टेलीफोन नंबर
- उस अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण जो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी का अधीक्षण करता है।

जहाँ एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो संबंधित प्राधिकारी, जहाँ लागू हो निम्नलिखित उत्तरदायित्वों को निभाएंगे–

- एफ.आई.आर. दर्ज़ करें और सूचना दर्ज़ करने वाले व्यक्ति को निशुल्क एक कॉपी प्रस्तुत करें
- जहाँ बच्चे को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, बच्चे को ऐसी देखभाल सुविधा का उपयोग करने की व्यवस्था करें,
- बच्चे को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाएं
- यह सुनिश्चित करें कि फोरेंसिक परीक्षणों के प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए नमूनों को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा जाए;
- बच्चे और बच्चे के माता–पिता या अभिभावक या अन्य व्यक्ति को जिस पर भी बच्चे को भरोसा और विश्वास है,

परामर्श सहित समर्थन सेवाओं, कानूनी सलाह आदि की उपलब्धता के बारे में सूचित करें तथाउन व्यक्तियों से संपर्क करने में उनकी सहायता करें जो इन सेवाओं और राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं

आईए अब अगले चरण पर चलते हैं।

### प्रत्येक पुलिस थाना और विशेष किशोर पुलिस इकाई में संधारित अनिवार्य जानकारी

एक पूर्ण और अद्यतन सूची तैयार होनी चाहिए तथा यह सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, थानाध्यक्ष एवं डयूटी अफसर के पास हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए तथा हर पुलिस थाने और विशेष किशोर पुलिस इकाई में किसी निर्धारित स्थान पर होनी चाहिए।

आईए देखें वह कौन से विवरण हैं जो उपलब्ध होने चाहिए

- सभी किशोर न्याय बोर्ड़, उनका निर्धारित स्थान, बैठकों का समय और दिन तथा उनका निर्धारित अधिकार क्षेत्र;
- सभी बाल न्यायालयों, उनका स्थान, कार्य दिवस और उनका संबंधित कार्यक्षेत्र
- किशोर न्याय बोर्ड के सभी सदस्यों का नाम, पता और फोन नं.
- मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और सभी परिवीक्षा अधिकारियों के नाम, पता और फोन नं.
- सभी न्यायिक अधिकारियों का नाम, पता और फोन नं. जिन्हें राज्य या ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण क्सै। का प्रभार मिला है।
- सभी पर्यवेक्षण गृहों के पते, संस्थान के प्रभारी का नाम और संपर्क नम्बर;
- सभी सुरक्षित स्थानों, उनका पता तथा संस्थानों के प्रभारियों के नाम और संपर्क नम्बर;

- सभी गृहों, उनके पते, संस्थान के प्रभारी व्यक्ति का नाम और संपर्क नम्बर;
- बाल संरक्षण अधिकारियों/ज़िला बाल संरक्षण इकाई के संपर्क व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नम्बर;
- चाईल्ड हेल्पलाईन और ऐसी अन्य संस्थाएं जो बाल संरक्षण और बच्चों के अधिकारों को लागू करने के लिए कार्य कर रही हैं तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत चिन्हित तथा पंजीकृत हैं;
- सभी गैर–सरकारी संस्थाएं जो विशेष किशोर पुलिस इकाई से जुड़ी हों– उनके नाम, पता, फोन नम्बर और ऐसी संस्थाओं के जिम्मेदार व्यक्ति का संपर्क नम्बर;
- विशेष शिक्षकों, अनुवादकों के साथ–साथ परामर्शदाताओं के नाम, पता और संपर्क नम्बर;
- सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम जहाँ सुविधाएं हैं और बच्चों की देखरेख करते हैं, के पते तथा संपर्क नम्बर;
- सभी विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों तथा सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य हैं, का विवरण;
- ज़िले में पारा लीगल वालंटियर, ज़िला विधि सेवाएं प्राधिकरण, चाइल्ड लाइन सेवाएं, संपर्क नम्बर सहित विवरण।
- बाल न्यायालयों का नाम और सम्पर्क नम्बर सहित विवरणी।

अब हम यह जानते हैं कि प्रत्येक थाने तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए अनिवार्य सूचनाएं या जानकारियां क्या हैं।

**बाल अनुकूल प्रक्रिया तथा अधिभावी सिद्धान्त जो बच्चे से संबंधित किसी भो कार्य को नियंत्रित करते हैं**

पिछले सत्र में हमने बाल अनुकूल वातावरण और उसकी विशिष्टताओं को जाना।

आईए अब बाल अनुकूल प्रक्रियाएं एवं भावी सिद्धान्तों को जानें, जो बच्चों से संबंधित किसी भी कार्यवाही को नियंत्रित करेगा।

सबसे पहले,

- बच्चे की गरिमा का सम्मान और निजता को बनाए रखना चाहिए।
- सभी बच्चों, चाहे वे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हों या देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे हों, के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए जो उनकी गरिमा की भावना एवं महत्व के लिए उपयुक्त हो, बच्चे की उम्र का ख्याल रखते हुए व बच्चे को समाज में पुनः शामिल करने की भावना के साथ, उसकी समाज में रचनात्मक भूमिका को प्रेरित करना चाहिए।
-

- बच्चे जो पुलिस के संपर्क में आते हैं वे पहले से ही भय और तनाव की स्थिति में रहते हैं, इसलिए उच्च स्तर की संवदेनशीलता की जरूरत होगी ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके।

आप जानते हैं कि:

- बच्चों को केवल हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी बच्चे को हथकड़ी या बेड़ी नहीं पहनाई जा सकती है।
- अगर कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा ऐसे समय पर पकड़ा गया है जब किशोर न्याय बोर्ड अपनी बैठकें नहीं कर रहा है, तब बच्चे को प्रधान न्यायाधीश और/या बोर्ड के किसी भी सदस्य के समक्ष जल्द से जल्द किशोर न्याय अधिनियम, 2015, की धारा –10 के तहत प्रस्तुत करना चाहिए।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10 (1) के अनुसार किसी भी बच्चे को पुलिस कस्टडी या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाना चाहिए
- किसी बच्चे को केवल उपयुक्त सुविधा/बाल देखरेख संस्थान में ही रखा जा सकता है, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत चिन्हित एवं पंजीकृत है,
- सभी कार्यों में बच्चे की सुरक्षा सबसे प्रमुख होगी।
- कोई भी आरोपी या संदिग्ध आरोपी को बच्चे के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए।
- जहाँ पर आपराधिक घटना का शिकार तथा आरोपी दोनों बच्चे हैं उन्हें भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे ही बच्चा पुलिस के संपर्क में आता है, तो उसके माता–पिता/अभिभावक/परिवार से संपर्क करने का शीघ्र ही व्यापक प्रयास किया जाना चाहिए।
- किसी भी बच्चे चाहें वे देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हों, के मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों एवं अधिनियम में निहित मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
- बच्चों से संबंधित हर कार्य में बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्त पर प्रमुखता से विचार किया जाना चाहिए।
- इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे बच्चे पर और अधिक अत्याचार हो।
- यह स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि एक बार सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, जिसमें बच्चे की चिकित्सीय जाँच भी शामिल हो, तो किसी परिस्थिति में बच्चे को थाने पर नहीं रखा जाना चाहिए।
- पुलिस को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और मॉडल नियम के अनुसार निर्धारित उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करना चाहिए।

- बच्चे को उनके लिए बने उपयुक्त संस्थान में बिना देरी किए भेज देना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चे को सुने जाने और अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनसे जुड़े किसी भी कार्यवाही जैसे हिरासत या रिहाई, पुनर्वास और पुनः घर वापसी आदि के बारे में उनकी राय अवश्य ली जानी चाहिए।
- उपयुक्त सहायता जैसे चिकित्सीय सहायता, दुभाषिये या अनुवादक (जब बच्चा दूसरी भाषा बोलता हो या पुलिस अधिकारी की भाषा न समझ पा रहा हो) की सहायता, कानूनी सहायता या अन्य कोई सहायता जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के लिए आवश्यक हो, वह तुरन्त प्रदान किया जाना चाहिए।
- विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए, उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि विशेष शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकें ताकि वे पर्याप्त तथा सही तरह से संवाद कर सकें और आवश्यक देखरेख पा सकें।
- यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के मामलों में कार्य करते समय उनके साथ संपर्क के दौरान जहाँ तक हो सके यूनिफार्म में न हों, सादे लिबास में हों। यह एक तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि बच्चे पुलिस से न डरें, बल्कि उन पर विश्वास करें। पुलिस को बच्चों के भय का एक कारण नहीं बनना चाहिए।
- बच्चा अगर लड़की हो तो यह सुनिश्चित करें कि महिला पुलिस अधिकारी, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता या कोई वयस्क जिस पर बच्ची विश्वास करती है, के साथ ही मिलकर कार्यवाही कर रही है।
- एक बालिका को महिला बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्दगी में ही रखा जाना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बच्चे से मैत्रीपूर्ण तथा संवेदनशील तरीके से बातचीत करनी चाहिए और धौंस जमाने वाली, दोश लगाने वाली तथा अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- उसे बच्चे के आत्म सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए।
- जहाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं जिससे बच्चा असहज हो सकता है तो ऐसे प्रश्नों को संवेदनशील तरीक`से पूछा जाना चाहिए।

**पुलिस थाने को बाल अनुकूल बनाने के 21 सूचक**

झारखण्ड पुलिस (ब्प्क्) एवं युनिसेफ झारखण्ड के साथ एक साझा पहल

आप बाल अनुकूल/बाल मित्रवत पुलिस स्टेशन के बारे में पहले से ही जानते हैं। पिछले सत्र में हमने उत्तर प्रदेश में बाल अनुकूल थानों के बारे में पढ़ा था। हमने यह भी चर्चा की थी कि कई अन्य राज्यों में भी बाल अनुकूल पुलिस थाने हैं। झारखण्ड भी उनमें से एक है।

झारखण्ड में, बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कार्यक्रम की शुरूआत दिसम्बर 2013 से हुई है। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 21 ऐसे सूचक बनाए गए हैं जिसके आधार पर बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन प्रमाणित हो सके।

आईए अब निम्नलिखित 6 आयामों में इन 21 सूचकों के बारे में सीखें जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

1. **संरचना**
2. **प्रक्रिया**
3. **रवैया**
4. **संसाधन**
5. **समुदाय के साथ जुड़ाव**
6. **समन्वय**

**संरचना (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63 (2) (3):**

1. पुलिस स्टेशन पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में एक पुलिस अधिकारी पदस्थापित हैं (नियम 84 (3), के अनुसार)।
2. बच्चों से बातचीत करने के लिए एक अलग जगह/कमरा (नियम 11 (13), के अनुसार)।
3. बच्चों के बैठने, शौचालय तथा सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था (नियम 11 (13), के अनुसार)।
4. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/अन्य प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी को अलग स्थान या कक्ष में उपस्थित रहना चाहिए, जो बच्चों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए पुलिस स्टेशन में निर्धारित किया गया है ।
5. पुलिस स्टेशनों में बच्चों से संबंधित नियमों की जानकारी देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं।
6. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम पुलिस स्टेशन में प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए (नियम 11 (14), के अनुसार।

**प्रक्रिया कार्यपद्धति (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63 (1)):**

1. पुलिस स्टेशन में, बच्चों से संबंधित मामले दर्ज़ करने तथा बच्चों के विरूद्ध हुए अपराध की शिकायत दर्ज़ करने और की गई कार्यवाही का विवरण दर्ज़ करने के लिए अलग रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है (विशेष किशोर पुलिस इकाई नोटिफिकेशन 2012 के अनुसार)।
2. गुम हुए बच्चों की प्राथमिकी दर्ज़ की जाती है।
3. बच्चों पर हुए अपराध, जिसमें गुम हुए बच्चे भी शामिल हैं, के एफ.आई.आर. की एक प्रति बच्चे के माता–पिता/कानूनी अभिभावक/शिकायतकर्ता को नियम 86;8द्ध ,किशोर न्याय मॉडल नियम के तहत निःशुल्क दी जाती है

4. पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए निर्धारित प्रक्रिया की सही जानकारी है।
5. पुलिस स्टेशन के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को, बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष अधिनियमों के तहत प्रावधानों की सही जानकारी है और वह इन्हें बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए इस्तेमाल करते हैं।

**रवैया (किशोर न्याय अधिनियम, धारा 63 (2)):**

7. पुलिस स्टेशन के अधिकारी इस बात में विश्वास रखते हैं कि बच्चों के खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार व शोषण स्वीकार्य नहीं है।
8. पुलिस स्टेशन के अधिकारी यह समझते हैं कि अपराध के शिकार चाहे वह एक बच्चा हो या महिला, थाने पर शिकायत दर्ज़ कराने आना उनका अंतिम विकल्प है (इसलिए पुलिस से अधिक संवेदनशीलता तथा त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है ताकि अपराध की शिकार महिला या बच्चे को राहत एवं संरक्षण प्राप्त हो)।
9. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ कार्यवाही करते समय 'क्या' (अपराध की प्रकृति/गम्भीरता) के स्थान पर 'क्यों' पर जोर दिया जाना चाहिए (किन परिस्थितियों में और क्यों बच्चे ने अपराध किया)।

**संसाधन (किशोर न्याय अधिनियम, धारा 63 (2)):**

6. पुलिस अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बाल संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तथा प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी को पुलिस स्टेशन के दूसरे अधिकारियों से साझा करते/करती हैं।
7. बच्चों और महिलाओं को हिंसा तथा शोषण से संरक्षण देने के लिए विभिन्न विशेष अधिनियमों से संबंधित संसाधन सामग्री पुलिस थाने में उपलब्ध है एवं उसका प्रयोग किया जाता है।

**समुदाय के साथ जुड़ाव (किशोर न्याय अधिनियम धारा 84 (7))।**

10. बच्चों से संबंधित मामलों में, पुलिस स्टेशन द्वारा सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
11. किशोर न्याय अधिनियम के तहत आच्छादित बच्चों की फोटो या पहचान को प्रकाशित करने की अनुमति मीडिया को नहीं दी जाती (किशोर न्याय अधिनियम, सेक्शन–21)।

**समन्वय और तालमेल (किशोर न्याय नियम 84 (5)):**

8. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, अन्य थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारी, गृहों के अधीक्षकों, ज़िला विधि सेवाएं प्राधिकरण के साथ समन्वय बनाकर रखते हैं। पुलिस स्टशन में चाइल्ड लाइन, गैर–सरकारी संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, पारा लीगल वॉलंटियर्स, अस्पताल तथा अन्य संबंधित एजेन्सियों की सूची तथा संपर्क नम्बर दर्शाया गया है।
9. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, समन्वय बैठकों में भाग लेते हैं या आयोजित करते हैं और आवश्यक कार्यवाही पूरी करते हैं।

## बाल अनुकूल/बाल मित्रवत् पुलिस स्टेशन प्रमाणित करने के चरण

- स्व मूल्यांकन – बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या थाना प्रभारी द्वारा कार्यक्रम की शुरूआत में, पुलिस स्टेशन में फ्लेक्स पर आंकलन।
- स्व मूल्यांकन से संबंधित सूचना दर्ज़ करना और सूचकों की प्रगति का प्रत्येक माह आंकलन करना।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक समीक्षा।
- राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (अपराध जाँच विभाग) द्वारा त्रैमासिक समीक्षा।
- यूनिसेफ द्वारा 21 सूचकों को पूरा करने के लिए थाना प्रभारी तथा बाल कल्याण अधिकारी को कार्य के दौरान नियमित रूप से मदद एवं प्रशिक्षण व सहयोग देना।
- बाल कल्याण अधिकारी का नियमित अनुश्रवण, प्रगति की रिपोर्ट लेना और 21 सूचकों की पूर्ति का ज़िले स्तर पर सत्यापन
- जिन थानों ने 21 सूचकों को पा लिया है उनके नाम पुलिस अधीक्षक, आई.जी. (सी.आई.डी.) के पास अग्रेषित करेंगे।
- पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) झारखण्ड द्वारा प्रमाणित करना।
- अगर पुलिस स्टेशन 1 वर्ष तक 21 सूचकों को बनाए रखता है तो पुलिस महानिदेशक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।